न्यायालय उप जिला कलक्टर अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या:—13/2021
जी.सी.एम.एस नं.—2021/293

ग्राम पंचायत 9 एल एम(बी) चक 11 एल एम पंचायत समिति अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. गिरधारी पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी नाहरांवाली तहसील अनूपगढ़ (राज.)
2. पृथ्वीराज पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी नाहरांवाली तहसील अनूपगढ़ (राज.)
3. मूलाराम पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी नाहरांवाली तहसील अनूपगढ़ (राज.)

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील उपस्थित

1. श्री योगेन्द्र कुमार एडवोकेट	प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री तिलकराज चुघ एडवोकेट	अप्रार्थीगण की ओर से

दिनांकः—**28.06.2025**

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण चक 11 एल एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—28 पत्थर नं.—284/487 का किला नं.—21 व 22 प्रत्येक में से 2—2 बिस्वा पूर्व पश्चिम दिशा का तथा मुरब्बा नं.—31 पत्थर नं.1/24 का किला नं.—24 में 2 बिस्वा उत्तर दक्षिण का रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 11 एल एम तहसील अनूपगढ़ के मुरब्बा नं.—28 पत्थर नं.—284/487 का किला नं.—21 व 22 प्रत्येक में 2—2 बिस्वा पूर्व पश्चिम दिशा का तथा मुरब्बा नं.—31 पत्थर नं.—1/24 का किला नं.—24 में 2 बिस्वा उत्तर दक्षिण का रास्ता स्वीकृत किया जावें। आपकी अति कृपा होगी।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम यह तथ्य उत्लेखित करना हम अप्रार्थीगण उचित समझते है कि खातेदारी कृषि भूमि में पूर्व मे रास्ता एवं खाला स्वीकृत है एवं प्रार्थीगण के पास उक्त [illegible] जाने के अलावा भी उपचार उपलब्ध है। प्रार्थीगण को किस कृषि भूमि के लि[illegible] रास्ता [illegible]हिए ऐसा कोई दस्तावेज सबूत प्रस्तुत नहीं किया है ऐसी स्थिति से प्रार्थना पत्र नि[illegible] किये जाने योग्य है। इसी चक के खाता सं.—49 में किला नं.—1 से 5 के नजदीक ही मुरब्बा नं.—1 के आबादी बसी हुई है एवं जिसके साथ खडवजा सड़क भी है सुलभ रास्ता हेतु मुरब्बा नं.—49 के किला मे 1 ता 5 से 1—1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने से आवादी में रहने वालों को सुविधा रहेगी उक्त किला नं.—1 ता 5 मे रास्ता स्वीकृत किये जाने से किसी को असुविधा नहीं होगी। प्रार्थीगण चक 11 एल एम के लिए आवागमन पूर्व में कर रहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.08 13:42:41 IST
Reason: SelfAttested

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय
अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

है मात्र हम अप्रार्थीगण को तगं व परेशान करने की गर्ज से यह प्रार्थना प्राप्त प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण चक–11 एल एम के समस्त नागरिको के आवागमन को सुलभ सुविधा पूर्व में उपलब्ध है किसी को अवागमन की कोई परेशानी नहीं हैं ऐसी स्थिती में यह प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। यह सुलभ रास्ता हेतु हम अप्रार्थीगण द्वारा पटवारी रिपोर्ट पुनः मगवाने जाने हेव पूर्व में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो निरस्त कर दिया गया चुकिं प्रार्थीगण द्वारा 11 एल एम कास्तकारान एवं आबादी के आवागमन हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत या तहसील का स्वीकृतशुदा नक्शा भी पेश नहीं किया ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र किया किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अपनी रिहाईश एवं कृषि काश्त हेतु कोई भी जमाबन्दी या दस्तावेज पेश नहीं किया हैं अलबता प्रार्थीगण के आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध हैं एवें पूर्व मे भी निवेदन किया जा चुका हैं कि सुलभ एवं सुगम रास्ता खाता सं.–49 में उपलब्ध है एवं चक –15 एल एम पंचायत मुख्यालय से भी प्रार्थीगण को रास्ता चालु हैं। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण चक–11 एल एम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

तहसीलदार अनूपगढ़ रिपोर्ट एवं नक्शा से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को अपने खेत में जाने के लिए चक 11 एल.एम के खाता सं. 14 मुन. 28 प.न. 284/487 के कि.न. 21 व 22 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा पूर्व पश्चिम दिशा का साथ खाता सं. 41 मु.न 31 प.न. 1/24 के कि.न. 24 में 2 बिस्वा उत्तर दक्षिण का रास्ता स्वीकृत करवाये जाने हेतु पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट एवं मूल रास्ता प्रस्ताव तैयार कर श्रीमानजी की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

तदुपरांत बहस अंतिम सुनी जाकर मेरे द्वारा पत्रावली का ध्यांनपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। तहसीलदार अनूपगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजातों के अवलोकन एवं अध्ययन से न्यायालय की राय में उक्तानुसार चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली आज दिनांक **28.06.2025** को **"पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025"** के तहत आयोजित कैम्प स्थल ग्राम पंचायत 9 एल.एम–बी में प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण 1 ता 3 गिरधारीलाल पुत्र गणपत राम, पृथ्वीराज पुत्र गणपतराम व मूलाराम पुत्र गणपतराम ने पूर्व में विचाराधीन प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता मुरब्बा नं.–28 पत्थर नं.–284/487 का किला नं.–21 व 22 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा पूर्व पश्चिम दिशा का तथा मुरब्बा नं.–31 पत्थर नं.–1/24 का किला नं. –24 में 2 बिस्वा उत्तर दक्षिण का रास्ता की ऐवज में इसी चक के सदर्भ में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीयान का रकबा वाके चक 11 [illegible] ील अनूपगढ़ का जमाबन्दी खाता संख्या 14 मु.न. 33 प.न. [illegible] मु.न. 28 प.न. 284/487 में कुल 9.120 हैक्टर कमाण्ड/[illegible] रकबा है। यह है कि ग्रांम पंचायत द्वारा हम प्रार्थीयान से [illegible] 28 प.न. 284/[illegible] में रास्ता चाहा गया था। कि उक्त रकबा में से रास्ता देने से हमारे रकबा के दो टुकडे हो रहे थे इस कारण हम प्रार्थीयान द्वारा अपने उपरोक्त मुस्तरका खाता के रकबा चक 11 एल.एम. मु.न. 32 प.न. 1/16 का किला न. 21, 22, 23, 24, 25 प्रत्येक में **डेढ़–डेढ** बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.08 13:42:41 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता पंचायत को देने की सहमति जताई और पंचायत ने भी उक्त रास्ता के लिए अपनी सहमति दे दी है। यह है कि हमारे उक्त रकबा चक 11 एल.एम. के मु.न. 32 प.न. 1/16 का किला न. 21, 22, 23, 24, 25 प्रत्येक में **डेढ डेढ** बिस्वा व मु.न. 1/8 किला न. 25 में से **6 गुणा 13 फुट** रास्ता पंचायत के लिए रास्ता स्वीकृत किया जावे आपकी मेहरबानी होगी। उक्त के अतिरिक्त प्रार्थी श्योकरण पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी 11 एल.एम. द्वारा भी एक सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का रकबा वाके चक 11 एल एम तहसील अनूपगढ का जमाबन्दी खाता संख्या 49 मु.न. 41 प.न. 1/9 में 1.645 हैक्टर अनकमाण्ड खातेदारी रकबा है। यह है कि प्रार्थी श्योकरण पुत्र श्री किशनाराम जाति जाट निवासी 11 एल एम ने अपने उक्त रकबा चक 11 एल.एम. के मु.नं. 41 प.नं. 1/9 के किला न. 1 में **13 गुणा 4 वर्गफुट** कोने पर व किला न. 1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक किला में **एक–एक** फुट रास्ता ग्राम पंचायत को देने की सहमति दी है। रास्ता स्वीकृत किया जावे आपकी मेहरबानी होगी। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा/सहमति प्रार्थना पत्र शामिल मिसल रहे।

– :: आदेश :: –

अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज.काश्त. अधिनियम 1955 को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की कृषि भूमि वाके चक 11 एल.एम. मु.न. 32 प.न. 1/16 का किला न. 21, 22, 23, 24, 25 प्रत्येक में **डेढ़–डेढ** बिस्वा व मु.न. 1/8 किला न. 25 में से **6 गुणा 13 फुट,** चक 11 एल.एम. के मु.नं. 41 प.नं. 1/9 के किला न. 1 में **13 गुणा 4 वर्गफुट** कोने पर व किला न. 1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक किला में **एक–एक** फुट रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

उक्त रास्ता की एवज में आयी भूमि के बदले में अप्रार्थीगण को भुगतान करने हेतु **राज.काश्त.(सरकारी) नियम, 1955 की धारा 70 की उपधारा–1 के अधीन संदेय प्रतिकर (मुआवजे) की राशि राज.स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल.सी.दर) के दो गुणा राशि** तहसील कार्यालय, अनूपगढ़ में जमा करवाने के आदेश प्रार्थीगण को दिये जाते है एवं उक्त प्रतिकर राशि जमा होने के उपरान्त तहसीलदार अनूपगढ़ स्वीकृत रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमल दरामद करें एवं अप्रार्थीगण को प्रतिकर राशि का भुगतान उनके रास्ता में आयी भूमि के मुताबिक किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक **28.06.2025** को सरे ईजलास मेरे द्वारा सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.08 13:42:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय
अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025